न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 19 वर्ष 2025

रामकिशन बनाम रामेश्वर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
02.05.2025	मूल वाद के साथ श्री रामावतार शर्मा एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1137 वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्षकारान मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्ट्रेट (फास्टट्रेक) निवाई	1178-1189 06/05/25 (हस्ताक्षर) रामेश्वर [?] रामलाल [?] रामसहाय [?] जगदीश [?]
16/5/25	[पत्रावली] पेश हुई। आज P.O. [illegible] ... 19/6/25	
19/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज P.O अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि0 20/6/25 को पेश हो।	
20/6/25	वकील पक्षकारान हाजिर पत्रावली पूर्ववत [?] दिनांक 12/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/8/25	वकील पक्षकारान हाजिर पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/8/25	पत्रावली पेश की वकील पक्षकारान हाजिर सुनवाई [?] उभय पक्षकारान [illegible] P.D हो चुका है अतः उक्त प्रार्थना पत्र T.I. जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र T.I. खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] [illegible] की जावे सुनवाई [?] हेतु पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्ट्रेट (फास्टट्रेक) [illegible]	